9431409445

**Notice**

From:-Mr. D. P. Verma Ch no 95 Bihar Bar council Bhawan Patna High court Pat-
Advocate for Petitioner.

To :-The Advocate General, Bihar
Patna High Court, Patna.

Ref:-Cri.Misc/I.A/M.J.C/C.W.J.C.No. ________ / Of 2014.

Sudam Yadav ... Petitioner

-Vrs-

The State of Bihar & Others .... Opposite Party
Respondents,

Sir,
Please take notice that the abovenoted Case is going to be filed on behalf of the Petitioner. Copy of same is being Served up on you for your use & information.

Please acknowledge the receipt.

Yours faithfully.
Advocate A-04.0038
High Court, Patna.
6-5-14

copy
S. B Verma (AAG-2)
6/5/14

**( PETITIONER IS IN CUSTODY )**

**IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA**

**(CRIMINAL WRIT JURISDICTION)**

**Cr.W.J.C. NO. ______________/ Of 2014**

Sudam Yadav @ Sudama Yadav ........... Petitioner.

Versus

The State of Bihar & Ors. ...................... Respondents.

Sub:-Criminal Writ (D.B.) Habeaus Corpus.

**INDEX**


| SL.NO. | PARTICULARS. | PAGES |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Main Petition with Affidavit & Synopsis | 1-13 |
| 2. | Annexure-1-A photo Copy of the memo No. 263 dt. 13.3.2013. | 14-15 |
| 3. | Annexure-2-A ~~photo~~ original copy of the order Dated 26.3.2014. | 16-18 |
| 4. | Annexure-3- A ~~photo~~ original copy of the order dated 4.4.2014. | 19 |
| 5. | **VAKALATNAMA.** | |

# IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

**(Criminal Writ Jurisdiction )**

**Cr.W.J.C. No. ______________/Of 2014**

**Sudam Yadav @ Sudama Yadav..........Petitioner.**

**Versus**

**The State of Bihar & Ors. ............................Respondents.**

**Sub:- <u>Criminal Writ (D.B.)</u>** Habeaus Corpus.

## SYNOPSIS

That this Criminal Writ petition is being filed by the petitioner in the nature of Habeaus Corpus for quashing the detention order dated 27.3.2014 passed by the District Magistrate Madhepura under section 12 (2) of the Bihar Control of Crimes Act 1981 further be pleased to also quash the order dated 4.4.2014 issued by the under Secretary to Govt. of Bihar Home (Police ) Department. Further be pleased to direct the respondents to release the petitioner from custody.

| DATE | EVENTS |
|---|---|
| 13.3.2014 | District Magistrate Madhepura issue Show Cause notice to the petitioner. |
| 25.3.2014 | District Magistrate Madhepura passed the order Under Section 12 (2) of Bihar Crime Control Act 1981. |
| 04.04.2014 | Under Secretary Government of Bihar Home (Police) affirmed the order of the District Magistrate, Madhepura. |

**HENCE THIS WRIT APPLICATION.**

Filed Dimes

(Petitioner is in Custody)

**IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA.**

**( Criminal Writ Jurisdiction)**

**Cr.W.J.C.No._____________/ Of 2014** (D.B)

In the matter of an application Under Article 226 & 227 of the Constitution of India;

And.

In the matter of:

Sudam Yadav @ Sudama Yadav Son of Domi Yadav Resident of Village- Dhuria, Sautari, P.S. Chausa, District- Madhepura.

................ Petitioner.

Versus

1- The State of Bihar through the Principal Secretary Home (Police) Department, Government of Bihar, Patna.

2- Under Secretary to Government of Bihar, Home (Police) Department, Bihar, Patna.

3- District Magistrate, Madhepura.

4- Superintendent of Police, Madhepura.

5- Sub Divisional Police Officerr Udakisunganj, District-Madhepura.

.................................Respondents.

To,

The Hon'ble Ms. Justice Rekha. M. Doshit, the Chief Justice of the High Court of Judicature at Patna and her companion justices of the said Hon'ble Court.

The humble petition on behalf of the above named Petitioner:

**MOST RESPECTFULLY SHEWETH:-**

1- That this Criminal Writ application is being filed by the petitioners in the nature of Habeaus Carpus and for quashing the detention order dated 27.3.2014 passed by the District Magistrate, Madhepura Under Section 12 (2) of the Bihar Control of Crimes Act 1981 further be pleased to also quash the order dated 4.4.2014 issued by the Under Secretary to Govt. of Bihar Home (Police) Department further be pleased to direct the respondents to release the petitioner from custody.

2. That the petitioners filed this Writ application on the following **GROUNDS**:-

(i) For that the order passed by the Respondent is out and out arbitrary in nature.

(ii) For that the detaining authority has failed to adopt and comply the basic requirement of law before issuance of detention order.

(iii) For that the order of detention is completely non application of mind.

(iv) For that before passing the order Under Section 12 (2) of the Bihar Control of Crime Act 1981 it must be considered by the detaining authority trough the cogent material that the detenue is likely to be released from custody is near future.

(v) For that the grounds of detention order of must show that there is compelling reasons to do so.

(vi) For that the detaining authority passed the order only on the report of the Superintendent of Police Madhepura that the petitioner having criminal antecedent which is not the rule of law for preventive detention.

(vii) For that the detenting authority seized the right provided under part III of the Constitution to the citizen of India in arbitrary, callous and mechanical manner .

(viii) For that it is violation of the principle of natural justice.

(ix) For that the petitioner is on bail is all the cases.

(x) For that most of the cases are of the Year 2001-04.

(xi) For that 2 cases lodged in the Year 2013 which are lodged by his political enemy. Wife of the petitioner and Tarni Ram both are the candidate and contested the Panchayat election 2012.

(xii) For that Sanha lodged by Tarni Ram, who is the informant of the Chausa P.S. case no. 34/13.

(xiii) For that the respondents has not considered the reply of the petitioner and passed the order impugned.

(xiv) For that the ~~bais~~ bases of only point of detention is to create disturbance in the Parliamentary election 2014 which is going to be over.

3. That the petitioner is citizen of India and resident of Bihar thus he is entitle to invoke the writ Jurisdiction of this Hon'ble High Court.

4. That the petitioner is in custody in Chausa P.S. Case No. 62/13 dt. 21.6.2013 Under Section 25(1-B) A/26 of the Arms Act from the 21.6.2013.

5. That vide memo no. 263 dated 13.3.2014 District Magistrate, Madhepura issue show cause notice to the petitioner.

A photo copy of the memo no. 263 dt. 13.3.2014 is being annexed and marked as Annexure-1 to this petition.

6. That the petitioner filed the reply of the Show cause notice within time.

7. That thereafter District Magistrate vide order dt. 25.3.2013/26.3.2013 passed the order Under Section 12 (2) of the Bihar Crime Control Act 1981. A copy of this order handed over to the petitioner vide memo no. 322 dt. 26.3.2014.

A true photo copy of the order dated 26.3.2014 is being annexed herewith

and marked as Annexure-2 to this petition.

8. That vide order dt. 04 th April 2014 issued by under Secretary to Government of Bihar Home ( Police) Department approved the order passed by the District Magistrate Madhepura

A photo copy of the order dt. 4.4.2014 is being annexed and marked as Annexure-3 to this petition.

9. That the above order passed by the District Magistrate and approved by the respondent bad in law as well as fact.

10. That the petitioner submits that out of 11 cases mentioned in the order he acquitted in the two cases i.e. Chausa P.S. Case No. 03/2003 and Chausa P.S. Case No. 78/03.

11. That it is relevant to mentioned here that he is on bail in other 9 cases.

12. That the petitioner submits that due to the political enmity petitioner implicated on Chausa P.S. Case No. 34/13 and 62/13.

13. That the wife of the petitioner and informant of the Chausa P.S. Case no. 34/13 namely Tarni Ram both are the candidate and contested the Panchayat election 2012.

14. That the learned District Magistrate also considered the two Sanha i.e. Sanha No. 432(2)/14 dated 24.2.2014 and Sanha no. 182 (3)/14 dated 10.3.2014. In this respect petitioner submits that both the Sanha are filed by the Tarni Ram having political enmity.

15. That the petitioner submits that he implicated in the above mentioned case due to land dispute and political enmity.

16. That the petitioner is a cultivator.

17. That it appeared from the order dated 25.3.2014 itself that in Chausa P.S. Case No. 34/13 police submitted Charge sheet only in prevention of Atrocities on Schedule Caste and Schedule Tribe Act and not found true Under 307 of I.P.C.

18. That in Chausa P.S. Case no. 62/12 which is registered under 25(1-B) a, 26 of Arms Act, one country made pistol and 315 bore live cartridge recovered from the petitioner when he was sleeping alone on the roof of a villager.

19. That the prosecution has not alleged that he moving with the fire arms and going to commit the crime.

20. That except two cases all the cases are of the Year 2001, 2002,2003 & 2004.

21. That the petitioner submits that he is not a professional criminal due to ~~found~~ political enmity and land dispute implicated in the above cases.

22. That the Learned District Magistrate without any basis passed the order of detention and ~~curtail~~ seized the right provided under the Constitution of India.

23. That the order passed by the respondents concerned is out and out arbitrary in nature.

24. That it is established principle of law laid down by the Apex court that before passing the order Under Section 12 (2) of the Bihar Control of Crime Act 1981 it must be considered

by the detaining authority that defenue is likely to be released from custody in near future.

25. That the detaining authority has not considered the basic principle to seized the right provided under part III of the Constitution to the citizen of India.

26. That the order of detention is completely non application of mind.

27. That the grounds of detention order of must show that there is compelling reasons to do so.

28. That the detaining authority passed the order only on the report of the Superintendent of Police Madhepura that the petitioner having criminal antecedent which is not the rule of law for preventive detention.

29. That the detaining authority seized the right provided under part III of the Constitution to the citizen of India in arbitrary, callous and mechanical manner .

30. That it is violation of the principle of natural justice.

31. That 2 cases lodged in the Year 2013 which are lodged by his political enemy. Wife of the petitioner and Tarni Ram both are the candidate and contested the Panchayat election 2012.

32 That the basis of only point of detention is to create disturbance in the Parliamentary election 2014 which is going to be over.

33. That any other ground/grounds urged at the time of argument.

34. That the basis of only point of detention is create disturbance in the Lok Sabha election 2014.

35. That there is no alternative and efficious remedy save and except to move before this Hon'ble Court.

36. That the petitioner has not earlier filed any Writ petition for the same relief.

It is, therefore, prayed that Your Lordships may graciously be pleased to admit this petition Issue notice to the respondent as to why prayer prayed in Para-1 of the petition

may not be allowed and after hearing the parties allow the prayer which is prayed in Para-1 of the petition.

And/Or

Pass such other order/orders as Your Lordships may deem fit and proper.

And for this the Petitioner shall ever pray.

# AFFIDAVIT

I,Vikash Kumar Aged about 22 Yrs Son of Sudam Yadav @ Sudama Yadav , Resident of Village- Dhuria Sautari, P.S. Chausa, District- Madhepura, do hereby solemnly affirm and state as follows:

1-That I am Son of the Petitioner in this instant case and as such am well acquainted with the facts and circumstances of this case.

2-That the contents of this application which have been read over and explained to me in Hindi which I have fully understood the same.

3-That the Statements made in paragraph nos.3, 8, 12, 13, 15, 16, 19, 21, 22 to 36.....are true to my knowledge and those made in paragraphs nos. 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 17, 18, 20. ...............are true to my information derived from the records of the case and the rest are by way of submissions to this Hon'ble Court.

4. That the Annexures are true/typed/photo copies of their respective originals.

Annext

14

न्यायालय, समाहर्त्ता एवं जिला दंडाधिकारी, मधेपुरा।

सी.सी.ए. वाद सं0.........04........./2014

राज्य बनाम सुदामा यादव

(फार्म-1)

बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा 12(2) के अंतर्गत नोटिस

(देखें नियम-4)

मुझे उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से ऐसा प्रतीत होता है कि-

क- अपराधकर्मी सुदामा यादव पे0 डोमी यादव, सा0 धुरिया सौतारी, थाना चौसा, जिला मधेपुरा एक कुख्यात अपराधी है। इनके आपराधिक कुकृत्यों से लोक व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये अपने अपराधी सहयोगियों के साथ मिलकर अपने क्षेत्र में आतंक का साम्राज्य कायम किये हुये हैं जिस कारण आमलोगों में भय व्याप्त है। 13- मधेपुरा लोक सभा निर्वाचन- 2014 के अवसर पर अपने समर्थित उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने हेतु ये अपने साथियों के साथ घुम-घुम कर जनमानस को प्रभावित कर रहे हैं, जिस कारण मतदाताओं में एक विशेष प्रकार का डर बनी रहने की आशंका है। इसकी पूरी संभावना है कि ये मतदान के समय अपने साथियों के साथ मिलकर बूथ लूटने का कार्य कर सकते हैं।

ख- ये आदतन अपराधी हैं और संगीन अपराध करने के आदी हैं, जो भारतीय दंड विधान 1861 के अध्याय XVI या अध्याय XVII के अंतर्गत दंडनीय है।

ग- मधेपुरा जिले में इनके गतिविधि एवं कार्य आम जनता के जीवन एवं सम्पत्ति की सुरक्षा के लिये खतरनाक है और ऐसे तथ्य उपलब्ध हैं जिससे विश्वास होता है कि ये ऐसे कार्य में लिप्त हैं या लिप्त हो सकते हैं जो भारतीय दंड विधान 1861 के अध्याय XVI या अध्याय XVII के अन्तर्गत दंडनीय अपराध है। यह भी आशंका है कि आसन्न 13-मधेपुरा लोक सभा निर्वाचन-2014 में गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं।

कंडिका (क), (ख) एवं (ग) में लगाये गये आरोपों के संबंध में सामग्री उपलब्ध है जो निम्न प्रकृति की है-

पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा ने अपने पत्रांक 639/सी0आर0, दिनांक 12-03-2014 के द्वारा सुदामा यादव की आपराधिक गतिविधियों के संबंध में प्रतिवेदित किया है, जो अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न है।

2. सुदामा यादव आपराधिक गतिविधियों में काफी दिनों से संलग्न है। उनके विरूद्ध कई थानों में दर्ज कांडों का ब्यौरा निम्न प्रकार है-

1. चौसा थाना कांड सं0-56/01 दिनांक 11.07.01 धारा 147/341/342/323/379/448 भा.दं.वि।
2. चौसा थाना कांड सं0-62/01 दिनांक 27.07.01धारा-302/34 भा.द.वि. एवं 27 आर्म्स एक्ट।
3. चौसा थाना कांड सं0-59/02दिनांक 19.06.02 धारा-302/34 भा.द.वि. एवं 27 आर्म्स एक्ट।
4. चौसा थाना कांड सं0-03/03 दिनांक 28.01.03 धारा- 302/34 भा.द.वि. एवं 27 आर्म्स एक्ट।
5. चौसा थाना कांड सं0-55/03 दिनांक 04.09.03 धारा-25(1बी)ए/26/35 आर्म्स एक्ट।
6. चौसा थाना कांड सं0-06/04 दिनांक 11.01.04 धारा-147/148/149/307/353 भा.द.वि. एवं 27 आर्म्स एक्ट।
7. चौसा थाना कांड सं0-47/04 दिनांक 29.05.04 धारा-364/34 भा.द.वि.।
8. चौसा थाना कांड सं0-54/03 दिनांक 04.09.03 धारा-342/323/386/341 भा.द.वि.।
9. चौसा थाना कांड सं0-78/03 दिनांक 16.12.03 धारा-302/34 भा.द.वि. एवं 27 आर्म्स एक्ट।
10. चौसा थाना कांड सं0-34/13 दिनांक 24.04.13 धारा-341/323/504/506/307/34 भा.द.वि. एवं 3(1)(10) अनु.जा./ज.जा.निवारण अधिनियम।
11. चौसा थाना कांड सं0-62/13 दिनांक 26.06.13 धारा-25(1बी)ए/26 आर्म्स एक्ट।
12. चौसा थाना सनहा सं0-432(2)/14 दिनांक 24.02.14।
13. चौसा थाना सनहा सं0-433(2)/14 दिनांक 24.02.2014.
14. चौसा थाना सनहा सं0-437(2)/14 दिनांक 24.02.2014.
15. चौसा थाना सनहा सं0-182(3)/13 दिनांक 10.03.2014.

3. यह भी गुप्त सूचना मिली है कि सुदामा यादव असामाजिक तत्वों को एकत्र कर आसन्न 13-मधेपुरा लोक सभा निर्वाचन-2014 में अपने समर्थित व्यक्ति के पक्ष में लोगों को मतदान करने के लिए डरा धमका रहे हैं जिससे आम मतदाता काफी भयभीत हैं। यह भी सूचना प्राप्त हुई है कि इनके द्वारा आगामी चुनाव में

15

व्यवधान उत्पन्न किये जाने की योजना बनाया गया है जिससे शांतिपूर्ण चुनाव में व्यवधान उत्पन्न होने की पूर्ण संभावना बनी हुई है। पूर्व भी इस तरह की कुकृत्य कर चुके हैं।

4. इन आपराधिक घटनाओं के विश्लेषण के आधार पर मैं संतुष्ट हूँ कि उन्हें बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा-2(d)(i) के अन्तर्गत "असामाजिक तत्व" माना जाय।

5. सुदामा यादव पे0 डोमी यादव, सा0 थुरिया सौतारी, थाना चौसा, जिला मधेपुरा को एतद् द्वारा निदेशित किया जाता है कि उक्त आरोपों के संबंध में स्पष्टीकरण देने हेतु अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में दिनांक 21/03/14 को 03.00 बजे अप0 में उपस्थित हों या यदि चाहें तो अपने अधिवक्ता के माध्यम से लिखित स्पष्टीकरण आरोपित विषय वस्तु के संबंध में दाखिल कर सकते हैं कि क्यों नहीं नहीं उनके विरूद्ध बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 12 की उप धारा 2 के अन्तर्गत आदेश पारित किया जाय? वे यह भी सूचित करेंगे कि क्या वे स्वयं या अन्य गवाह (यदि हाँ तो उनका नाम एवं पता) उनके स्पष्टीकरण के समर्थन में परीक्षण के लिये अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होना चाहते हैं।

6. सुदामा यादव पे0 डोमी यादव, सा0 थुरिया सौतारी, थाना चौसा, जिला मधेपुरा को एतद् द्वारा अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होने का निदेश दिया जाता है। यदि वे उपस्थित होने में असफल रहते हैं या कोई स्पष्टीकरण या सूचना निर्धारित समय के अन्दर प्राप्त नहीं होता है तो यह समझा जायेगा कि वे अपने विरूद्ध लगाये गये आरोपों के संबंध में कोई स्पष्टीकरण या गवाह देने के इच्छुक नहीं हैं और तदनुसार आगे आदेश पारित किया जायेगा।

मेरे हस्ताक्षर एवं मुहर से निर्गत।

ह0/-

दिनांक 13-03-2014

स्थान- मधेपुरा।

जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 263/विधि, मधेपुरा, दिनांक 13-03-2014

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को उनके पत्रांक 639/सी0आर0, दिनांक 12-03-2014 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अभियुक्त सम्प्रति जेल में है। नोटिस तामिला हेतु अपने स्तर से भेजने का कष्ट किया जाय।

प्रतिलिपि : अधीक्षक, मंडल कारा, मधेपुरा को नोटिस की दो प्रति निर्गत करते हुए निदेशित किया जाता है कि इसकी विधिवत तामिला सुनिश्चित कराते हुये तामिला प्रतिवेदन अंकित कर एक प्रति 24 घंटे के अन्दर उपलब्ध करायें इसे सख्त ताकीद जानें।

प्रतिलिपि : लोक अभियोजक, मधेपुरा/ थानाध्यक्ष, चौसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सुदामा यादव पे0 डोमी यादव, सा0 थुरिया सौतारी, थाना चौसा, जिला मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

13/3/14

जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।

Ann-x-2

16

बी0 सी0 सी0 ए0 वाद सं0- 04/2014

राज्य बनाम सुदामा यादव

-: आदेश :-

| | |
|---|---|
| 25-03-2014<br>26-03-2014 | पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा के ज्ञापांक 639/सी0आर0, दिनांक 12-03-2014 के द्वारा कुख्यात अपराध कर्मी सुदामा यादव पे0 झोमी यादव सा0 धुरिया सौतारी थाना चौसा जिला मधेपुरा के विरूद्ध अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा- 12(2) के तहत निरूद्ध करने का प्रस्ताव दिनांक 13-03-2013 को प्राप्त हुआ है- देखा। |

प्राप्त प्रस्ताव की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त उक्त अभियुक्त को उचित अवसर प्रदान करने हेतु इस न्यायालय के डी0बी0नं0-263 दिनांक 13-03-2014 के द्वारा अधीक्षक, मंडल कारा, मधेपुरा के माध्यम से नोटिस का तामिला करवाया गया एवं सुनवाई की तिथि दिनांक 21-03-2014 निर्धारित की गई। अभियुक्त अन्य कांडों में मंडल कारा, मधेपुरा में संसीमित हैं। अधीक्षक, मंडल कारा, मधेपुरा से नोटिस तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है। उल्लेखित तिथि को अभियुक्त पुलिस अभिरक्षा में उपस्थित हुए एवं अपना पक्ष रखा। अभियुक्त की ओर से विज्ञ अधिवक्ता भी उपस्थित हुए एवं कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु समय की याचना की। समय आवेदन स्वीकृत करते हुए सुनवाई की तिथि 25-03-2014 निर्धारित किया गया। यह भी स्वीकृति दी गई की अभियुक्त को अपना पक्ष रखने के लिए न्यायालय में आने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें पुलिस अभिरक्षा में पुनः मंडल कारा, मधेपुरा वापस कर दिया गया। निर्धारित तिथि को दोनों पक्ष उपस्थित हुए एवं अपना-अपना पक्ष रखा।

प्रतिवादी (अभियुक्त) के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि इन्हें ग्रामीण राजनीति के कारण विभिन्न कांडों में फँसाया गया है। अभियुक्त के विरूद्ध दर्ज 11 मामलों में से 02 मामले यथा- चौसा थाना कांड सं0-59/02 अन्दर धारा 302/34 भा.द.वि. एवं 27 आर्म्स एक्ट, चौसा थाना कांड सं0-78/03 धारा-302/34 भा.द.वि. एवं 27 आर्म्स एक्ट न्यायालय द्वारा निस्पादित हो चुका है। जबकि चौसा थाना कांड सं0-56/01,62/01,03/03, 55/03, 06/04, 47/04, 54/04, 34/13 कुल 08 मामलों में जमानत मिल चुका है तथा चौसा थाना कांड सं0- 62/13 में जमानत याचिका माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल है। इसके अतिरिक्त कुल 04 सनहा दर्ज किया गया है। अभियुक्त दिनांक 21-06-2013 से ही जेल में बंद है, तो मिथ्यापूर्ण, बनावटी साजिस रचकर सनहा दर्ज कराया जाना अपने आप में प्रमाणक है। कैदी के द्वारा किसी को डराये-धमकाने की बात पूर्णतया झूठा है एवं ग्रामीण राजनीति से प्रेरित है। इसलिए यह वाद चलने लायक नहीं है।

सरकारी पक्ष की ओर से उपस्थित सहायक लोक अभियोजक, मधेपुरा ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व एवं वर्तमान मिलाकर कुल 11 मामले दर्ज हैं, जो काफी गंभीर प्रकृति के हैं। वर्ष 2013 में 02 मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें अनु.जा./जन जा. निवारण अधिनियम एवं आर्म्स एक्ट के तहत आरोपित हैं। न्यायालय में आरोप पत्र भी दाखिल किया जा चुका है। अवैध हथियार रखने का आरोप सत्य पाया गया है। प्रतिवादी के विज्ञ अधिवक्ता यह कथन कि सनहा थाना में झूठा दर्ज किया गया है, जो अतिश्योक्ति नहीं जान पड़ता है क्योंकि अभियुक्त अपने साथियों के माध्यम से दहशत जाल फैलाते हैं, जब उनसे मिलने जेल पर जाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि अन्य मामलों में उक्त अभियुक्त कारा से मुक्त होने के लिए प्रयासरत है। इसलिए ऐसे अपराधियों पर अंकुश लगाना नितांत आवश्यक है।

पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा से प्राप्त प्रस्ताव एवं संलग्न साक्ष्य का अवलोकन किया, जो निम्नवत हैः-

1. अपराधिक इतिहास
2. अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज द्वारा चौसा थाना कांड सं0-34/13 एवं 62/13 में समर्पित पर्यवेक्षण टिप्पणी।
3. दंड प्रकिया संहिता की धारा-154 के अधीन विभिन्न कांडों में समर्पित आरोप पत्र।
4. थाना में दर्ज प्राथमिकी।

उपरोक्त वर्णित अपराधकर्मी के द्वारा कारित किये गए अपराध की विवरणी निम्नवत हैः-

1. चौसा थाना कांड सं0-56/01 दि. 11.07.01 धारा 147/341/342/323/379/ 448 भा.द.वि.।
2. चौसा थाना कांड सं0-62/01 दि. 27.07.01 धारा 302/34 भा.द.वि. एवं 27 आर्म्स एक्ट।
3. चौसा थाना कांड सं0-59/02 दि. 19.06.02 धारा 302/34 भा.द.वि. एवं 27 आर्म्स एक्ट।
4. चौसा थाना कांड सं0-03/03 दि. 28.01.03 धारा 302/34 भा.द.वि. एवं 27 आर्म्स एक्ट।
5. चौसा थाना कांड सं0-55/03 दि. 04.09.03 धारा 25(1बी)ए/26/35 आर्म्स एक्ट।

आर्म्स एक्ट।

17

7. चौसा थाना कांड सं0-47/04 दि. 29.05.04 धारा 364/34 भा.द.वि.

8. चौसा थाना कांड सं0-54/03 दि. 04.09.03 धारा 342/323/386/341 भा.द.वि.

9. चौसा थाना कांड सं0-78/03 दि. 16.12.03 धारा 302/34 भा.द.वि. एवं 27 आर्म्स एक्ट।

10.चौसा थाना कांड सं0-34/13 दि. 341/323/504/506/307/34 भा.द.वि. एवं 3(1)(10) अनु.जा./जन जा. निवारण अधिनियम।

11.चौसा थाना कांड सं0-62/13 दि. 21.06.13 धारा 25(1बी.)ए/26 आर्म्स एक्ट।

अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज के प्रतिवेदन से यह भी स्पष्ट होता है कि सुदामा यादव के विरुद्ध निम्नलिखित मामलों में इनका कुख्यात अपराधी होना प्रमाणित करता है :-

1. चौसा थाना कांड सं0-54/03 दिनांक 04.09.03 धारा 342/323/386/341 भा.द.वि. में वादी शिवकुमार मिस्त्री द्वारा प्राथमिकी अभियुक्त सुदामा यादव एवं अन्य तीन नामजद एक होकर मारपीट करने तथा पचास हजार रंगदारी मांगने के आरोप में कांड प्रतिवेदित कराया गया है। अनुसंधानोपरान्त आरोप पत्र सं0-102/13 दिनांक 31.10.03 धारा 342/323/386/34 भा.द.वि. के अन्तर्गत प्राथमिकी अभियुक्त के विरुद्ध समर्पित किया जा चुका है।
2. चौसा थाना कांड सं0-78/03 दिनांक 16.12.03 धारा 302/34 भा.द.वि. एवं 27 आर्म्स एक्ट में वादी जामुल मंडल सा0 रामदिरी भिट्टा थाना भवानी के बयान पर सुदामा यादव एवं अन्य 08 तथा 04 अज्ञात के विरुद्ध वादी के भाई गंगा मंडल उर्फ गांगो मंडल को देशी पिस्तौल से गोली मार देने के आरोप में अनुसंधानोपरान्त आरोप पत्र सं0-04/08 दिनांक 20.02.08 धारा 302/34 भा.द.वि. एवं 27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत आरोप पत्र समर्पित किया जा चुका है।
3. चौसा थाना कांड सं0-34/13 दिनांक 24.04.13 धारा 341/323/504/506/307/34 भा.द.वि. एवं 3(1)(10) अनु.जा./जन जा. निवारण अधिनियम के अन्तर्गत वादी तारणी राम पे0 लक्ष्मी राम सा0 धुरिया सौतारी को जाति सूचक शब्द सम्बोधित कर गाली-गलौज करने एवं जान से मार देने की नियत से गोली फायर करने के आरोप में आरोप पत्र सं0-87/13 दिनांक 31.08.13 समर्पित किया जा चुका है।
4. चौसा थाना कांड सं0-62/13 दिनांक 21.06.13 धारा 25(1बी.)ए/26 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत वादी पुलिस अवर निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित कराया गया है, जिसमें अभियुक्त अवैध आग्नेयास्त्र रखने का आरोप है। उक्त कांड में आरोप पत्र सं0-76/13 दिनांक 19.08.13 समर्पित किया जा चुका है।

अपराधी सुदामा यादव का आपराधिक इतिहास काफी गंभीर एवं लोक शांति भंग करनेवाला है, क्योंकि उपयुक्त कांडों के अतिरिक्त चौसा थाना में सनहा सं0-432(2)/14 दिनांक 24.02.14 के सूचक तारणी राम को अभियुक्त द्वारा केश में मेल कराने के लिए दवाव डाला जा रहा है तथा जान से मार देने की धमकी दी जा रही है। जाँचोपरान्त कथन सत्य पाया गया है। सनहा सं0-182(3)/14 दिनांक 10.03.14 के सूचक तारणी राम एवं अन्य कांडों के गवाहों को अभियुक्त एवं उनके साथी अभियुक्त कारेलाल मंडल द्वारा जेल से ही केश मेल मिलाप करने हेतु डसते-धमकाते रहते हैं। इनके विरुद्ध उपलब्ध तथ्य एवं आंकड़े अपने आप प्रमाणित करता है कि ये एक मनबढु एवं कुख्यात अपराधी हैं। काफी प्रयासों के बाद इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। इनके जेल जाने के उपरान्त इस क्षेत्र में अपराधिक घटनाओं काफी सुधार हुआ है। इनके जेल से छुटने के बाद पुनः इनके द्वारा उस क्षेत्र में अपराध का साम्राज्य स्थापित कर लेगा, जिससे आमजन के साथ-साथ प्रशासनिक ढांचे एवं विधि-व्यवस्था को भी चरमरा सकता है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि सुदामा यादव पे0 डोमी यादव सा0 धुरिया सौतारी थाना चौसा जिला मधेपुरा के द्वारा किये गए संगीन अपराध से उस क्षेत्र की लोक व्यवस्था काफी छिन्न-भिन्न हो गई है। यहाँ तक कि लोग पलायन को आहत हैं। ऐसे अपराधकर्मी पर सामान्य रूप से नियंत्रण पा लेना कतई संभव नहीं है। समीक्षा से मैं सतुष्ट हूँ कि उक्त अपराधी बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 2(डी)(1) की परिभाषा के अन्तर्गत एक असामाजिक तत्व है। ये आदतन अपराधी हैं और संगीन अपराध करने के आदी हैं, जो भारतीय दंड विधान 1861 के अध्याय XVI या XVII के अन्तर्गत दंडनीय अपराध है। इससे आमजन भयभीत हैं, जिस कारण आसन्न लोक सभा चुनाव-2014 के अवसर पर मताधिकार का प्रयोग करने से सहमें हुए हैं। इनकी आपराधिक गतिविधियों से मुक्त कर लोक व्यवस्था बनाये रखने, आमजन में आत्म विश्वास पैदा कर मन से भय एवं आतंक दूर करने के उद्देश्य से इनके अपराध पर

[illegible]

निरुद्ध करना परमावश्यक हो गया है। इनके बाहर आने से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा [illegible] लेकर बूथ लूटने, मतदाताओं को अपने पक्ष में वोट करने, मतदान करनेवाले आमजन को मतदान से वंचित रखने आदि का कार्य करवाया जा सकता है, जिससे इन्कार नहीं किया जा सकता है। इसलिए बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा-12(2) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए आदेश देता हूँ कि उपरोक्त असामाजिक तत्व/ अपराधी सुदामा यादव पे0 डोमी यादव, सा0 धुरिया सौतरी थाना चौसा, जिला मधेपुरा को आदेश निर्गत की तिथि से छः माह की अवधि के लिए निरुद्ध रखा जाय। वर्तमान में अभियुक्त मंडल कारा, मधेपुरा में संसीमित है।

उक्त निरुद्धादेश का तामिला अधीक्षक, मंडल कारा, मधेपुरा के माध्यम से सुदामा यादव को करावें।

इस आदेश की तीन प्रतियाँ पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को तामिला एवं तामिला प्रतिवेदन देने हेतु प्रेषित करें। पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा अपने स्तर से उक्त निरुद्धादेश की एक प्रति निरुद्धी को, दूसरी प्रति अधीक्षक, मंडल कारा, मधेपुरा को कस्टडी वारंट के रूप में कार्यालय उपयोग हेतु एवं तीसरी प्रति पर निरुद्धी का हस्ताक्षर या अंगूठा का निशान प्राप्त कर अधीक्षक, मंडल कारा, मधेपुरा से प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त तामिला प्रतिवेदन के रूप में इस न्यायालय में लौटा देंगे।

आदेश की प्रति जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा को भी आम जनता में प्रचार प्रसार हेतु भेजें एवं एक प्रति मधेपुरा जिला के वेवसाईट पर प्रकाशनार्थ भेजें।

लेखापित एवं शुद्धिकृत,

Sd/- 26/03/14

जिला दंडाधिकारी, मधेपुरा।

Sd/- 26/03/14

जिला दंडाधिकारी,

मधेपुरा।

ज्ञापांक 322 /विधि, मधेपुरा, दिनांक 26/03/2014

प्रतिलिपिः पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा/ थाना अध्यक्ष, चौसा/ अधीक्षक, मंडल कारा, मधेपुरा/ जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा/ जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः सुदामा यादव पे0 डोमी यादव, सा0 धुरिया सौतारी, थाना चौसा, जिला मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

Sd/- 26/03/14

जिला दंडाधिकारी,

मधेपुरा।

निवारण अधिनियम एवं आर्म्स एक्ट के तहत आरोपित है। न्यायालय में आरोप पत्र भी दाखिल किया जा चुका है। अवैध हथियार रखने का आरोप सत्य पाया गया है। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता यह कथन कि सनहा थाना में झूठा दर्ज किया गया है, जो अतिशयोक्ति नही जान पड़ता है क्योंकि अभियुक्त अपने साथियों के माध्यम से शातिर जाल फैलाते है, जब उनसे मिलने जेल पर जाते है। उन्होंने यह भी बताया कि अन्य मामलो में उक्त अभियुक्त कारा से मुक्त होने के लिए प्रयासरत है इसलिए ऐसे अपराधियो पर अंकुश लगाना नितांत आवश्यक है।

पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा से प्राप्त प्रस्ताव एवं संलग्न साक्ष्य का अवलोकन किया, जो निम्नवत है:-

1. अपराधिक इतिहास
2. अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज द्वारा चौसा थाना कांड सं0 34/13 एवं 62/13 में समर्पित पर्यवेक्षण टिप्पणी।
3. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन विभिन्न कांडो में समर्पित आरोप पत्र
4. थाना में दर्ज प्राथमिकी।

उपरोक्त वर्णित अपराधकर्मी के द्वारा कारित किये गये अपराध की विवरणी निम्नवत है:-

1. चौसा थाना कांड सं0 56/01 दि0 11.7.01 धारा 147/341/342/323/379/448 भा0द0वि0।
2. चौसा थाना कांड सं0 62/01 दि0 27.7.01 धारा 302/34 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट।
3. चौसा थाना कांड सं0 59/02 दि0 19.6.02 धारा 302/34 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट।
4. चौसा थाना कांड सं0 03/03 दि0 28.01.03 धारा 302/34 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट।
5. चौसा थाना कांड सं0 55/03 दि0 4.9.03 धारा 25 (1बी)ए/26/35 आर्म्स एक्ट।

6. चौसा थाना कांड सं0 06/04 दिनांक 11.01.04 धारा 147, 148, 149, 307, 353 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट
7. चौसा थाना कांड सं0 47/04 दि0 29.5.04 धारा 364/34 भा0द0वि0
8. चौसा थाना कांड सं0 54/03 दि0 4.9.03 धारा 342/323/386/34। भा0द0वि
9. चौसा थाना कांड सं0 78/03 दि0 16.12.03 धारा 302/34 भा0द0वि0 एवं 27आर्म्स एक्ट।
10. चौसा थाना कांड सं0 34/13 दि0 341/323/504/506/307/34 भा0द0वि0 एवं 3§1§§10§ अनु0जा0/जन0जा0 निवारण अधिनियम
11. चौसा थाना कांड सं0 62/13 दि0 21.6.13 धारा 25§1बी§ए/26 आर्म्स एक्ट

अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज के प्रतिवेदन से यह भी स्पष्ट होता है कि सुदामा यादव के विरूद्ध निम्नलिखित मामलों में इनका कुख्यात अपराधी होना प्रमाणित करता है:-

1. चौसा थाना कांड सं0 54/03 दिनांक 4.9.03 धारा 342/323/386/34। भा0द0वि0 में वादी शिवकुमार मिस्त्री द्वारा प्राथमिकी अभियुक्त सुदामा यादव एवं अन्य तीन नामजद एक होकर मारपीट करने तथा पचास हजार रंगदारी मांगने के आरोप में कांड प्रतिवेदित कराया गया है। अनुसंधानोपरान्त आरोप पत्र सं0 102/13 दिनांक 31.10.03 धारा 342/323/386/34 भा0द0वि0 के अंतर्गत प्राथमिकी अभियुक्त के विरूद्ध समर्पित किया जा चुका है।

2. चौसा थाना कांड सं0 78/03 दिनांक 16.12.03 धारा 302/34 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट में वादी जामुल मंडल सा0 राममदिरी भिठ्ठा थाना भवानी के बयान पर सुदामा यादव एवं अन्य 08 तथा 04 अज्ञात के विरूद्ध वादी के भाई गंग मंडल उर्फ गांगो मंडल को देशी पिस्तौल से गोली मार देने के आरोप में अनुसंधानोपरान्त आरोप पत्र सं0 04/08 दिनांक 20.2.08 धारा 302/34 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत आरोप पत्र समर्पित किया जा चुका है।

3. चौसा थाना कांड सं0 34/13 दिनांक 24.4.13 धारा 341/323/504/506/307/34 भा0द0वि0 एवं 3§1§§10§ अनु0जा0/ज0जा0 निवारण अधिनियम के अंतर्गत वादी तारणी राम पे0 लक्ष्मी राम सा0 धुरिया सोंतारी को जाति सूचक शब्द सम्बोधित कर गाली गलौज करने एवं जान से मार देने की नियत से गोली फायर करने के आरोप में आरोप पत्र सं0 87/13 दिनांक 31.8.13 समर्पित किया जा चुका है।

4. चौसा थाना कांड सं0 62/13 दिनांक 21.6.13 धारा 25§1बी§ए/26 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत वादी पुलिस अवर निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित कराया गया है, जिसमें अभियुक्त अवैध आग्नेयास्त्र रखने का आरोप है। उक्त कांड में आरोप पत्र सं0 76/13 दिनांक 19.8.13 समर्पित किया जा चुका है।

अपराधी सुदामा यादव का आपराधिक इतिहास काफी गंभीर एवं लोक शांति भंग करनेवाला है, क्योंकि उपर्युक्त कांडो के अतिरिक्त चौसा थाना में सनहा सं0 432§2§/14 दिनांक 24.2.14 के सूचक तारणीराम को अभियुक्त द्वारा केश में मेल कराने के लिए

तारणी राम एवं अन्य कांडो के गवाहो को अभियुक्त एवं उनके साथी अभियुक्त कारे
लाल मंडल द्वारा जेल से हो केश मेल मिलप केनहेतु डरोतधमकाते रहते है। इनके विरूद्ध उपलब्ध तथ्य एवं आंकड़े अपने आप प्रमाणित करता है कि ये एक मनबढ़ु एवं कुख्यात अपराधी है। काफी प्रयासो के बाद इन्हे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। इनके जेल जाने के उपरान्त इस क्षेत्र में अपराधिक घटनाओ काफो सुधार हुआ है। इसके जेल से छुटने के बाद पुनः इनके द्वारा उस क्षेत्र में अपराधक सामाज्य स्थापित कर लेगा, जिससे आमजन के साथ साथ प्रशासनिक ढांचे एवं विधि व्यवस्था को भी चरमरा सकता है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यो से स्पष्ट है कि सुदामा यादव पे0 डोमी यादव सा0 धुरिया सोंतारो थाना चौसा जिला मधेपुरा के द्वारा किये गये संगीन अराध से उस क्षेत्र को लोक व्यवस्था काफी छिन्न भिन्न हो गई है। यहाँ तक कि लोग पलायन को आहत है। ऐसे अपराधकर्मी पर सामान्य रूप से नियंत्रण पा लेना कतई संभव नही है। समोक्षा से मैं संतुष्ट हूँ कि कि उक्त अपराधी विहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 को धारा 2 (डी)(i) की परिभाषा के अंतर्गत एक असामाजिक तत्व है। ये अद्‌तन अपराधी है और संगोन अपराध करने के आदी है, जो भारतीय दंड विधाना 1861 के अध्याय 16 या 17 के अंतर्गत दंडनोय अपराध है। इससे आमजन भयभीत है, जिस कारणआसन्न लोक सभा चुनाव 2014 के अवसर पर मताधिकार का प्रयोग करने से सहमे हुए है। इनको अपराधिक गतिविधियो से मुक्त कर लोक व्यवस्था बनाये रखने, आमजन में आत्म विश्वास पैदा कर मन से भय एवं आतंक दूर करने के उद्देश्य से इनके अपराध पर

नियंत्रण पाने का एक एक विकल्प के आधार पर बिहार अपराधनियंत्रण अधिनियम 1984 के तहत निरूद्ध करना परमावश्य हो गया है। इनके बाहर आने से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा इनका सहारा लेकर बू लूटने, मतदाताओं को अपने पक्ष में वोट करने, मतदान करनेवाले आमजन को मतदान से वंचित रखने आदि का कार्य करवाया जा जा सकता है जिससे इन्कार नही किया जा सकता है। इसलिए बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 12 (2) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए आदेश देता हूँ कि उपरोक्त असामाजिक तत्व/ अपराधी सुदामा यादव पे0 डोमी यादव सा0 धुरिया सोतारो थाना चौसा, जिला मधेपुरा को आदेश निर्गत की तिथि से छः माह की अवधि के लिए निरूद्ध रखा जाय। वर्तमान में अभियुक्त मंडल कारा, मधेपुरा में संसोमित है।

उक्त निरूद्धादेश का तामिला अधीक्षक, मंडल कारा, मधेपुरा के माध्यम से सुदामा यादव को करावे।.

इस आदेश की तीन प्रतियाँ पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को तामिला एवं तामिला प्रतिवेदन देने हेतु प्रेषित करें। पुलिस अधीक्षक मधेपुरा अपने स्तर से उक्त निरूद्धादेश की एक प्रति निरूद्धो को दूसरी प्रति अधीक्षक मंडल कारा, मधेपुरा को कस्टडी वारंट के रूप में कार्यालय उपयोगहेतु एवं तीसरी प्रति पर निरूद्धो का हस्ताक्षर या अंगूठा का निशान प्राप्त कर अधीक्षक मंडल कारा मधेपुरा से प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त तामिला प्रतिवेदन के रूप में इस न्यायालय में लौटा देंगें।

आदेश की प्रति जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा को भी आम जनता मे प्रचार प्रसार हेतु भेजे एवं एक प्रति निरूद्धो को दूसरी प्रति अधीक्षक मंडल कारा मधेपुरा को कस्टडी वारंट के रूप में कार्यालय उपयोग हेतु एवं तीसरी प्रति पर निरूद्धो का हस्ताक्षर या ब अंगूठा का निशान प्राप्त कर अधीक्षक मंडल कारा, मधेपुरा से प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त तामिला प्रतिवेदन के रूप में इस न्यायालय मे लौटा देंगें।

आदेश की प्रति जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा को भी आम जनता में प्रचार प्रसार हेतु भेजे एवं एक प्रति मधेपुरा जिला के वेवसाईट पर प्रकाशनार्थ भेजे।

लेखापित एवं शुद्धिकृत
ह0 अस्पष्ट 26.3.14

जिला दंडाधिकारी, मधेपुरा।

ह0 अस्पष्ट 26.3.14
26.3.14
जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 322/विधि, मधेपुरा, दि0 26.3.1014

प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा / थाना अध्यक्ष, चौसा/अधीक्षक मंडल कारा, मधेपुरा जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा / जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सुदामा यादव पे0 डोमी यादव सा0 धुरिया सोतारो, थाना चौसा जिला मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

ह0 अस्पष्ट 26.3.14
जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।

T.C. Annex-2.

न्यायालय समाहर्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, मधेपुरा

सी0सी0सी0ए0वाद सं0 04/2014

राज्य बनाम सुदामा यादव

<u>आदेश</u>

20.3.14
26.3.14 पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा के ज्ञापांक 639/सी0आर0 दिनांक 12.3.14 के द्वारा कुख्यात अपराधकर्मी सुदामा यादव पे0 डोमी यादव सा0 घुरिया सीतारी थाना चौसा जिला मधेपुरा के विरूद्ध अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा 12(2) के तहत निरूद्ध करने का प्रस्ताव दिनांक 13.3.2013 को प्राप्त हुआ है- देखा।

प्राप्त प्रस्ताव की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त उक्त अभियुक्त को उचित अवसर प्रदान करने हेतु इस न्यायालय के डी0बा0सं0 263 दिनांक 13.3.2014 के द्वारा अधीक्षक मंडल कारा, मधेपुरा के माध्यम से नोटिस का तामिला करवाया गया एवं सुनवाई की तिथि दिनांक 21.3.2014 निर्धारित की गई। अभियुक्त अन्य कांडो में मंडल कारा, मधेपुरा में संसीमित है। अधीक्षक, मंडल कारा, मधेपुरा से में संसीमित है। अधीक्षक, मंडल कारा, मधेपुरा से नोटिस तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है। उल्लेखित तिथि को अभियुक्त पुलिस अभिरक्षा में उपस्थित हुए एवं अपना पक्ष रखा। अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता भी उपस्थित हुए एवं कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु समय की याचना की। समय आवेदन स्वीकृत करते हुए सुनवाई की तिथि 25.3.2014 निर्धारित किया गया। यह भी स्वीकृति दी गई की अभियुक्त को अपना पक्ष रखने के लिए न्यायालय में आने की आवश्यकता नही है। उन्हे पुलिस अभिरक्षा में पुनः मंडल कारा, मधेपुरा वापस कर दिया गया। निर्धारित तिथि को दोनो पक्ष उपस्थित हुए एवं अपना अपना पक्ष रखा।

प्रतिवादी (अभियुक्त) के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि इन्हे ग्रामीण राजनीति के कारण विभिन्न कांडो में फँसाया गया है। अभियुक्त के विरूद्ध दर्ज 11 मामले में से 02 मामले यथा चौसा थाना कांड सं0 59/02 अन्दर धारा 302/34 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट, चौसा थाना कांड सं0 78/03 धारा 302/34 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट न्यायालय द्वारा निस्पादित हो चुका है। जबकि चौसा थाना कांड सं0 56/01 62/01, 03/03, 55/03, 06/04, 47/04, 37/13 कुल 08 मामलो में जमानत मिल चुका है। तथा चौसा थाना कांड सं0 62/13 में जमानत याचिका माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल है। इसके अतिरिक्त कुल 04 सनहा दर्ज किए गए है। अभियुक्त दिनांक 21.6.13 से होजल में बंद है, तो मिथ्यापूर्ण, बनावटी साजिश रचकर सनहा दर्ज कराया जाना अपने आप में प्रमाणक है। कैदी के द्वारा किसी को डराये धमकाने की बात पूर्णतया झूठा है एवं ग्रामीण राजनीति से प्रेरित है। इसलिए यह वाद चलने लायक नही है।

सरकारी पक्ष की ओर से उपस्थित सहायक लोक अभियोजक, मधेपुरा ने अपना पक्ष

Annex-3

19

Regd.Post/
Fax

Government of Bihar
Home (Police) Department

**ORDER**

Patna – 15, the ***04*** **April, 2014**

No. CCA-**10-129** /2014 H (P) – ***3075*** /In the exercise of Powers conferred under section 12 (3) of the Bihar Control of Crimes Act, 1981 (Act, 7/81) the state Govt. have been pleased to approve the detention order issued on **27.03.2014** by the District Magistrate, **Madhepura**, against **Sudama Yadav, S/O- Domi Yadav, Vill.- Dhuria Sautari, P.S.- Chousa, Distt.- Madhepura** under section 12 (2) of the Bihar Control of Crimes Act, 1981.

By the order of the Governor of Bihar
**Sd/-**
**(Suman Kumar Sinha)**
Under Secretary to Govt.

Copy in triplicate forwarded to the Supdt., **Distt. Jail, Madhepura** for immediate service on the detenue **Sudama Yadav** one copy to be given to the detenu, second copy to be kept in jail office and the third copy bearing the signature or thumb impression of the detenu in token of receipt should be returned to the Govt. immediately. if the detenu desires to file any representation against the detention order he may file to Govt. in Home (Police) Department through the Supdt., **Distt. Jail, Madhepura** The Supdt, **Distt. Jail, Madhepura** is hereby directed to send such representation to the Govt. at once through the special messenger. Supdt. of jail is requested to send a copy of such representation to the concerned District Magistrate at once.

Under Secretary to Govt.